कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

विज्ञप्ति

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यो की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु वास्तुविद/फर्मो की सेवायें ली जानी है, जिसके लिए इच्छुक वास्तुविद/फर्मो से दिनांक 10.10.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनांक 11.10.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे निविदा समिति के द्वारा खोली जायेंगी। शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून

पत्रांक – 700 /सा0नि0वि0/न0नि0/दे0दून/2024–25 दिनांक:– 26/9/24

प्रतिलिपि:–

1. सम्पादक अमर उजाला / फ्रंटियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम क्षेत्रफल में आगामी देहरादून संस्करण में पूर्व में निर्धारित दरों पर छूट देते हुए प्रकाशित कर बिल एवं समाचार की तीन प्रतियां निःशुल्क बिल भुगतान हेतु नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कार्य की निविदा संबंधित समस्त विवरण नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, नगर निगम देहरादून पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून
25/09/24

शर्तें

नगर निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु वास्तुविदों/फर्म की दरें आमंत्रण में प्रतिभाग करने वाले वास्तुविद/फर्मो को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगाः–

1. प्रतिभाग करने वाले वास्तुविद/फर्म को COA (Council of Architect) में रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा।
2. वास्तुविद के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुविद की डिग्री होनी आवश्यक होगी।
3. वास्तुविद को विस्तृत आगणन आख्या गठन करने ड्रॅाइग एवं डिजाईन का किसी राजकीय विभाग में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा, जिसके लिए विभाग के साथ अनुबन्ध की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
4. योजना के कियान्वयन के दौरान ड्रॅाइग/स्ट्रक्चर डिजाईन में किसी प्रकार का संशोधन होने पर संशोधित ड्रॅाइग/स्ट्रक्चर डिजाईन बनाना आवश्यक होगा।
5. न्यूनतम दरें स्वीकार होने पर दरें 3 वर्ष के लिए वैध मानी जायेगी।
6. वास्तुविद को कार्य की ड्रॅाइग विस्तृत आंगणन आख्या तैयार कर 3 प्रतियों में निगम को जमा करनी होगी।
7. योजना स्वीकृत होने के उपरान्त वास्तुविद/फर्म को वर्किंग ड्राईग 3 प्रतियों में निगम को जमा करनी होगी।
8. जिस फर्म/वास्तुविद की दरें न्यूनतम पाई जायेंगी उसे रू0 5000/– की धरोहर राशि जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी के पदनाम से बंधक हो, की एफ0डी0आर0 जमा करनी अनिवार्य होगी।
9. फर्म/वास्तुविद को किये जाने वाले भुगतान को निम्नानुसार किया जायेगा :–
   1. ड्रॅाइग–विस्तृत आगणन आख्या– 40 प्रतिशत।
   2. कार्य का संरेखण सभी कम्पोनेन्ट की वार्किग ड्राइंग/डिजाईन उपलब्ध करवाने पर– 40 प्रतिशत।
   3. योजना का कार्य पूर्ण होने पर– 20 प्रतिशत।

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम देहरादून।